# राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1036/2010

प्रताप ओला

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री पी.एस.चुंडावत।
प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री ललित पारीक, उप.जी.सी.

**माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा**

**आदेश (मौखिक)**

**29/04/2024**

1. याचिकाकर्ता की शिकायत अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 01.01.2010 (अनुलग्नक 6) के आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं और दिनांक 10.12.2009 (अनुलग्नक 7) के एक अन्य आदेश से, जो इस आधार पर पारित किया गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त बी.एड. डिग्री मान्यता प्राप्त नहीं है।

2. वर्तमान याचिका में जो संक्षिप्त विवाद उत्पन्न होता है, वह यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा फकरुद्दीन अली अहमद शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा से प्राप्त बी.एड. डिग्री वैध है या नहीं?

3. इसका उत्तर आवश्यक रूप से यहां पारित विवादित आदेशों की वैधता को नियंत्रित करेगा, जिसके तहत याचिकाकर्ता की सेवाएं यह आरोप लगाते हुए समाप्त कर दी गई थीं कि उसके पास वैध डिग्री नहीं थी।

4. इसका उत्तर खोजना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि उक्त विवाद का निर्णय इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा छाजू राम वर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य: एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 697/2010, दिनांक 31.01.2014 को निर्णीत, तथा झाबर सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य: एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4760/2010, दिनांक 31.01.2014 को निर्णीत, तथा हंसराज मीना बनाम राज्य एवं अन्य: एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4398/2011, दिनांक 14.07.2014 को निर्णीत, में पहले ही किया जा चुका है।

5. छाजू राम वर्मा का प्रासंगिक पक्ष, उपयुक्त होने के कारण, नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> “1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।
>
> 2. याचिकाकर्ता ने फकरुद्दीन अली अहमद शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बरगली टोला, लहरिया सराय, दरभंगा, (बिहार) से प्राप्त बी.एड. की डिग्री के कारण अपनी उम्मीदवारी को अस्वीकार किए जाने से व्यथित होकर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है; जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियमों और विनियमों के अनुसार वैध योग्यता नहीं है।
>
> 3. रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय समिति ने सीडब्ल्यूजेसी संख्या 2407/2000, सीडब्ल्यूजेसी संख्या 11964/2000 (फकरुद्दीन अली अहमद शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुपालन में दिनांक 02.01.2013 को एक आदेश जारी किया है, जो इस प्रकार है:-
>
> > “फाइल में उपलब्ध अभिलेखों और एनसीटीई अधिनियम 1993 के प्रासंगिक प्रावधानों, एनसीटीई मुख्यालय द्वारा जारी नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों पर विचार करने के बाद

> दिनांक 14.12.2012 को समिति ने मामले पर विस्तार से चर्चा की और निम्नानुसार निर्णय लिया। एनसीटीई विनियम 2009 के आलोक में माननीय पटना उच्च न्यायालय के निर्णयों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने तथा ईआरसी के पिछले निर्णयों का अवलोकन करने के पश्चात समिति ने निर्णय लिया कि फकरुद्दीन अली अहमद शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के छात्र द्वारा शैक्षणिक सत्र 1995-96 से 1998-99 के दौरान प्राप्त बी.एड. डिग्री के प्रमाण-पत्रों को वैध घोषित किया जाए तथा इस संबंध में सभी संबंधितों को सूचना भेजी जाए।

4. उपरोक्त निर्णय के अनुसार, पूर्वी क्षेत्रीय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शैक्षणिक सत्र 1995-96 से 1998-99 के दौरान फकरुद्दीन अली अहमद शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से छात्रों द्वारा प्राप्त बी.एड. डिग्री के प्रमाण पत्र वैध घोषित किए जाते हैं।

5. पक्षों के विद्वान वकील इन तथ्यों पर विवाद नहीं करते हैं, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि दिनांक 02.01.2013 के आदेश के आलोक में; वर्तमान रिट आवेदन में याचिकाकर्ता के पास शैक्षणिक सत्र 1995-96 से 1998-99 के दौरान फकरुद्दीन अली अहमद शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से प्राप्त बी.एड. डिग्री का वैध प्रमाण पत्र है। 6. इस न्यायालय ने 10.02.2010 को रिट आवेदन के नोटिस जारी करते हुए एक अंतरिम आदेश दिया, जो इस प्रकार है:-

> वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने फकरुद्दीन अली अहमद शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बंगाली टोला, लेहरिया सराय, दरभंगा से शैक्षणिक सत्र 1996-97 में बी.एड. किया है, जो एल.एन. मिथला विश्वविद्यालय, बिहार से संबद्ध है और संस्थान की संबद्धता के पूर्वव्यापी रद्दीकरण की जांच पटना उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी और दिनांक 28/03/2008 के निर्णय द्वारा संबद्धता के पूर्वव्यापी रद्दीकरण को अलग रखा गया था। वकील ने आगे कहा कि पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, याचिकाकर्ता की सेवाओं को प्रतिवादियों द्वारा दिनांक 06/01/2010 के आदेश अनुलग्नक 12 के तहत समाप्त नहीं किया जा सकता था।

स्वीकार करें। नोटिस जारी करें।

इस बीच, दिनांक 06/01/2010 के अनुलग्नक-12 के आदेश का संचालन अगले आदेश तक स्थगित रहेगा और प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को उसके द्वारा पहले धारण किए गए पद पर काम करने की अनुमति दें।

7. उपर्युक्त कारणों से तथा दिनांक 02.01.2013 के आदेश के मद्देनजर, प्रतिवादी आयोग को दिनांक 10.02.2010 के अंतरिम आदेश को ध्यान में रखते हुए, कानून के अनुसार मामले में उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।

8. उपर्युक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, रिट आवेदन का निपटारा किया जाता है।"

6. दलीलें सुनने और न्यायालय की फाइल तथा उपरोक्त निर्णयों का अवलोकन करने के पश्चात, मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता का मामला उपरोक्त निर्णयों के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें याचिकाकर्ता की स्थिति भी याचिकाकर्ता के समान ही थी, तथा उन्होंने उसी कॉलेज/विश्वविद्यालय से बी.एड. की डिग्री प्राप्त की थी।

7. इस आधार पर, उपरोक्त निर्णयों के अनुसार रिट याचिका स्वीकार की जाती है। दिनांक 01.01.2010 (अनुलग्नक 6) तथा 10.12.2009 (अनुलग्नक 7) के विवादित आदेशों को निरस्त किया जाता है, तथा इसके परिणाम भुगतने होंगे।

**(**अरुण मोंगा**),** न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है )

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।